सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
तिरुच्चिराप्पल्लि
18 MAR 2019
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
TIRUCHIRAPPALLI-1

07398

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)

नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001

NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001

दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/09/04/2017-सीशु नीति अं फा ।। दिनांक: 07.03.2019

सार्वजनिक सूचना सं. 03/2019

विषय : शिपिंग बिल एवं आगम पत्र के अंतिम प्रिंट आउट पर एलईओ/ओओसी देनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं स्टांप की गैर-आवश्यकता - के बारे में ।

सभी निर्यातकों, सीमा शुल्क दलालों, व्यापार समूह के सदस्यों, उद्योग संघों, हित धारकों एवं सभी संबंधित व्यक्तियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर आकर्षित किया जाता है ।

2. शिपिंग बिल के अंतिम प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर/स्टांप के वर्तमान अभ्यास को समाप्त करने के लिए व्यापार समूह से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क ईडीआइ द्वारा लेट एक्स्पोर्ट आदेश (एलईओ)/आउट आफ चार्ज (ओओसी) के बाद तैयार किए गए शिपिंग बिल/आगम पत्र के अंतिम प्रिंट आउट सिस्टम द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है और उस पर एलईओ/ओओसी देनेवाले अधिकारियों के नाम और एसएसओ-आइडी हैं । अत: शिपिंग बिल एवं आगम पत्र पर एलईओ/ओओसी देनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर या स्टांप की आवश्यकता नहीं हैं ।

4. उपरोक्त के कारण यह निर्णय किया गया है कि आगे से, शिपिंग बिल एवं आगम पत्र के अंतिम प्रिंट आउट पर लेट एक्स्पोर्ट आदेश (एलईओ)/आउट आफ चार्ज (ओओसी) देनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं स्टांप की, आवश्यक नहीं होगी ।

5. तथापि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहॉ विभिन्न कारणों, जैसे मैनुअल बीओई, निर्यातक, आयातक आदि के अनुरोध आदि के लिए प्रिंटिंग की आवश्यकता पडती है । ऐसे मामलों में मांगे जाने पर प्रिंट आउट दिया जाए ।

6. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में कोई भी कठिनाई, अगर हो तो, अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए ।

अशोक 07/03/2019

(अशोक)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

… /आइसीडी/सीएफएस ।